208

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

A-4256-Z-16

अपील कमांक /2014 जिला जबलपुर

1– मुल्लाबाई बेवा बाबूलाल कौल
2– राजेश पिता स्व0 बाबूलाल कौल
निवासी ग्राम बेरला, थाना बेरला
तहसील व जिला जबलपुर

..... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

..... अनावेदक

अपील अंतर्गत धारा 35 (4) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 14/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2016 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बरेला प0ह0नं0 80 बरेला रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 849/4 रकबा 1.821 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि में से 0.65 हैक्टर भूमि को कर्ज अदा करने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गैर आदिवासी को विकय करना उचित समझा और विकय हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया ।

3. यहकि, आवेदिका का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आवेदिका नियत दिनांक 21–11–16 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी । इस संबंध में आवेदिका का शपथपत्र संलग्न है ।

XXXIX(a)BR(H)-11 श्रीमती मुल्लाबाई आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 4256-एक/16 जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22.12.16 | यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21-11-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।<br>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थिनी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम बरेला प0ह0नं0 80 बरेला रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 849/4 रकबा 1.821 हैक्टर स्थित है उक्त भूमि में से 0.65 हैक्टर भूमि गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत | |

R. 4256.3/16 (जबलपुर)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश श्रीमती मुल्लाबाई आदि विरुद्ध म०प्र० शासन | अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि अपीलार्थिनी की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि अपीलार्थिनी आदिम जनजाति की सदस्या है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थिनी के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त जो भूमि शेष बच रही है वह उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थिनी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में उसे, उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-11-16 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थिनी को उसके स्वामित्व की ग्राम बरेला प0ह0नं0 80 बरेला रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 849/4 रकबा 1.821 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर भूमि गैर आदिवासी व्यक्ति को को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।

अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर